न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O), सिवाना

पीठासीन अधिकारी श्रीमती कुसुमलता चौहान आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :–84/2020

प्रार्थी:–

भंवरराम उर्फ भंवरसिंह पि. उकाजी जाति राजपुरोहित निवासी पुरोहितो का बास वार्ड संख्या 09 असाढा तहसील पचपदरा जिला बाडमेर राज.

बनाम

विप्रार्थीगण:–

1. प्रेमसिंह पुत्र उकाजी जाति राजपुरोहित निवासी पुरोहितो का वास वार्ड संख्या 09 असाढा तहसील पचपदरा जिला बाडमेर
2. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना जिला बाडमेर

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956</u>

उपस्थित :–

1. **श्री महेन्द्रसिह सोढा अधिवक्ता प्रार्थी**
2. **विप्रार्थीगण अनुपस्थित**

–:: आदेश ::–

दिनांक :–16.07.2021

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के मुख्य तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 1 की संयुक्त खातेदारी खेत सरहद मौजा पादरडी खुर्द पटवार मण्डल थापन खसरा संख्या 200,204,211,215,253,279,282,284,304,306 व 6 कुल रकबा 16.3329 हैक्टयर की भूमि आई हुई है। वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी का 1/2 हिस्सा बनता है। वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी का नाम भंवरराम पुत्र उका दर्ज है। प्रार्थी के सभी दस्तावेज यथा परिचय पत्र, आधारकार्ड, राशनकार्ड, इत्यादि में भंवरसिंह दर्ज है। प्रार्थी को अपने खातेदारी खेतो की भूमि में भंवरराम नाम दर्ज होने से सराकरी सेवाओं एंव ऋण इत्यादी में भारी परेशानी रहती हैं भंवरराम एंव भंवरसिंह नाम से दोनो ही व्यक्ति एकमात्र प्रार्थी स्वंय है जिससे राजस्व रेकर्ड में दर्ज की गई गलती को सुधार किया जाना अत्यन्त ही आवश्यक होने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय श्री में प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गया। विप्रार्थीगण को नोटिस तामिल सुदा प्राप्त । विप्रार्थी संख्या 1 द्वारा इकबाली जबाब प्रस्तुत कर प्रार्थी द्वारा चाही गई इस्तदुआ [illegible] की गई। तहसीलदार सिवाना के पत्रांक भू.अ./2021/1073 [illegible] रिपोर्ट प्रस्तुत की गई ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.09.02 18:14:59 IST
Reason: SelfAttested

हमने प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता [illegible] अधिवक्ता [illegible]ने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये [illegible] का नाम राजकीय दस्तावेजात के आधार पर भंवरराम पुत्र उका के स्थान पर भंवरसिह पुत्र उकसिंह किये जाने हेतु निवेदन किया ।

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

हमने पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का गहराई से अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत राजकीय दस्तावेजात यथा आधारकार्ड,वोटरकार्ड,

नकार्ड दस्तावेजात इत्यादि में प्रार्थी का नाम भंवरसिंह पुत्र उकाजी अंकित है । वप्रार्थी संख्या 1 ने भी अपने इकबाली जबाब मे प्रार्थी द्वारा चाहे गये अनुतोष बाबत सहमति जाहिर की है। तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के संलग्न पटवारी रिपोर्ट में भी प्रार्थी का नाम भंवराराम के स्थान पर भंवरसिंह किये जाने हेतु अनुशंषा की है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है ।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की खातेदारी भूमि सरहद मौजा पादरडी खुर्द पटवार मण्डल थापन खसरा संख्या 200,204,211,215,253,279,282,284,304,306 व 6 कुल रकबा 16.3329 हैक्टयर भूमि में अंकित अशुद्ध नाम "भंवराराम पुत्र उका" के स्थान पर " भंवरसिंह पुत्र उकाजी शुद्ध किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार सिवाना आदेश की पालना एक माह में कर पालना रिर्पोट भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

आदेश आज दिनांक 16/07/2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O) सिवाना

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.09.02 18:14:59 IST
Reason: SelfAttested